स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को देश से रोग का उन्मूलन करने के उद्देश्य से 1958 में आरम्भ किया गया था। 1965 में मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो गया था, जब रोगियों की संख्या घटकर लगभग एक लाख हो गई थी और इससे किसी की मृत्यु भी नहीं हुई थी। 1965 से 1975 तक मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि होनी शुरू हो गई और 1976 में रोगियों की संख्या अधिकतम हो गई जब लगभग 64.60 लाख मामले रिकार्ड किए गए थे। कीटनाशी औषधियों को हजम करने की शक्ति विकसित होने, क्लोरोक्विन को हजम करने की शक्ति आ जाने, उपयुक्त किस्म की कीटनाशी औषधियों की उपर्युक्त सप्लाई होने, अपर्याप्त गतिशीलता आदि जैसे तकनीकी, प्रशासनिक तथ्य आपरेशनल कारणों से इस कार्यक्रम को धक्का लगा।

विशेषज्ञों की दो समितियां द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और तदनुसार मलेरिया के लिए संशोधित कार्य योजना अप्रैल, 1977 से आरम्भ की गई थी।

Pilerage from Railway Sheds

2576. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there have come to the notice of Government cases of pilferage at railway sheds during the year 1982-83;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether some cases of such pilferage have been found which took place with the connivance of railway employees; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in such cases against the staff ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GANI KHAN CHAUDHURY) : (a) and (b) 3,824 cases of thef/ptilferage of booked consignments worth about Rs. 50,00,737/- were reported from goods shed, platform and parcel sheds on all the Railways during 1982-83. Out of this, stolen consignments worth Rs. 6,56,255/- had been recovered with the arrest of 285 persons, which included 28 railway employees.

(c) and (d) Yes, Sir, The 28 railway employees who were found involved and were arrested by R.P.F. in these cases, are being dealt with under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

गंगा नदी पर कानपुर रेलवे पुल

2577. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल ड्राइवरों ने कानपुर स्थित रेल विभाग को यह सूचित कर दिया है कि गंगा पर कानपुर रेलवे पुल बहुत पुराना हो चुका है और उसके दो खम्बे झुक गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी नहीं।